



मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेशशासनकाउपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014882 Web: mppgcl.mp.gov.in

कार्यालयअधीक्षणअभियंता (संचा - संधा)

2x45 मेगावाटरानीअवन्तीबाईसागरजलविद्युतगृहबरगीनगर, जबलपुर (म.प्र.) 482056

(ईमेल: seoandmbargi@gmail.com)

क.अय/संचा-संधा/बरगी/अप्रेटिस/775

बरगी नगर दिनांक 13/09/2025

अप्रेटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई. टी. आई. अप्रेटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, 2x45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आई.टी.आई. (एन. सी व्ही टी./एस.सी.व्ही.टी) उत्तीर्ण की हो, को अप्रेटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर में ट्रेड अप्रेटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है। 2x45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर में ट्रेड अप्रेटिस (एक वर्षीय) हेतु कुल रिक्तियाँ 10 हैं, जिनका ट्रेडवार विवरण निम्नानुसार है -

आई.टी.आई.अप्रेटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	ई.डब्ल्यू.एस.	दिव्यांग	कुल योग
1.	विद्युतकार	3	1	1	1	0	0	6
2.	फिटर	0	1	1	0	0	0	2
3.	डीजल मैकेनिक	0	0	0	0	1	0	1
4.	वेल्डर	0	0	0	1	0	0	1
	कुल	3	2	2	2	1	0	10

नोट:-

- उक्त रिक्तियाँ केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिये आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय में जमा करें या डॉक द्वारा दिये गये पते पर भेजें एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के लिये संलग्न प्रपत्र-I के अनुसार अप्लाई करें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18/10/2025 है।
- विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें-

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता-शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में-

- आई.टी.आई.अप्रेटिस-शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से, (एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता:-

- (अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो। तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।
- (ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय के कुल प्राप्तांकों सी.जी.पी.ए. पद्धति की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पॉ.जं.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।

04. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/वृत्तिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

06. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय-समय पर अपना ई-मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहें।

07. वरीयता प्राप्त आवेदकों को अपना आमंत्रण ऑफर लेटर अप्रेंटिस पोर्टल <http://apprenticeshipindia.in> पर उनके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई.डी. पर ही किया जावेगा।

अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें तथा अपना ई-मेल आई.डी. आवेदन करने से पहले बना लें जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।

08. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./ई.डब्लू.एस./विकलांग के लिये आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

09. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार म.प्र.पा.जं.कं.लि.बरगी नगर अपने पास सुरक्षित रखती है।

10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। जबलपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराये जाना होगा।

13. आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर उपलब्ध है।

14. आरक्षण एवं आयु में छूट:-

- i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्लू.एस.तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) एवं राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जावेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।

- ii. रिक्रितियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनर्रीक्षित हो सकती है।
- iii. सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि दिनांक 18/10/2025 के आधार पर की जावेगी।
- iv. सामान्य वर्गों में उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।
- v. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15. चयन प्रक्रिया:-

- i. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, म.प्र.पॉ.जं.कं.लि.ब.रगी नगर द्वारा प्राप्त हुए आवेदन में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई.में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम मेरिट लिस्ट में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
- ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
- iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

16. स्टाइपेण्ड (प्रशिक्षुवृत्ति):-

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	स्टाइपेण्ड (रु. में)
01	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (एक वर्षीय कोर्स)	7700 /- प्रतिमाह
02	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (दो वर्षीय कोर्स)	8050 /- प्रतिमाह

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।
- ii. दिव्यांग उम्मीदवार को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

18. आवेदन कैसे करें-

आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in के माध्यम से दिनांक 18/10/2025 की मध्य रात्री समय 23:59 बजे तक ऑनलाइन पद्धति से भरा जा सकता है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगे।

आई.टी.आई. उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया- आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं करवाया है तो निम्न प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं।

- i. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर Toolbar में Apprentices- Candidate Registration पर Click करें।
- ii. आपको www.apprenticeship.gov.in/register/candidate/link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।
- iii. Toolbar में Registration बटन पर Click करें। "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।
- iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति तथा लिंग की प्रविष्टि करें।
- v. Contact Details Section में अपना पूरा पता, मोबाईल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड प्रविष्टि करें। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।
- vi. Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- vii. Preference section में शिक्षता प्रशिक्षण के लिये आप अपने Sector/व्यवसाय (Trade) की प्राथमिकता का चयन करें।
- viii. चौथे चरण में (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व स्कैन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर click करें।
- ix. अंतिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा। Edit बटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारी सही होने पर Confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Details में दिये गये e-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- xi. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत "Establishment Search" में जाकर रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें।
- xii. ऑफलाइन प्रक्रिया- आवेदन द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर स्वयं उपस्थित होकर या डॉक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा-संधा) रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।

19. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें-

- i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं।
- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञान होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी परिस्थिति में बदली नहीं जावेगी।
- iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो "Edit my profile" में जाकर परिवर्तन कर सकता है।

- v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षता अधिनियम 1961 (यथा संशोधन) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- vi. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पॉ.ज.क.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vii. आवेदन कर्ता को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगे होने का प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- viii. शिक्षता अधि में उम्मीदवारों को 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- ix. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ती नियम 1923 लागू होगा।
- x. म.प्र.पॉ.ज.क.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने / सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
- xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जावेगी
- xii. उम्मीदवार ध्यान रखें कि शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पॉ.ज.क.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस सम्बंध में कोई विचार किया जावेगा।
- xiii. शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षणपूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।



अति.मुख्य अभि.(संचा-संधा)
म.प्र.पा.ज.क.लि.बरगी नगर

शाखा (ट्रेड) के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (संचा-संधा)

रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर

1. वर्ग-
2. आवेदक का पूरा नाम
3. पिता/पति का नाम
4. लिंग (महिला/पुरुष)
5. जन्म तिथि
6. पत्र व्यवहार का पता
7. मोबाइल नम्बर
8. क्या अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग में
आते हैं यदि हों तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
9. क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया
.....
है यदि हों तो उसका विवरण
10. शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता:-

परीक्षा/शाखा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियाँ)

1. मूल निवास प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व)/विकलांगता प्रमाण पत्र
4. आई.टी.आई प्रमाण पत्र
5. जन्म प्रमाण पत्र/10वीं कक्षा की अकसूची

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं आत्मज प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है। असत्य/अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीयन कैसे करें:-

अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) पंजीकरण:-

01. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेसाइट www.apprenticeship.gov.in पर Apprentices मीनू पर Click करें।
02. अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन पर Click करें, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिये रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जायेगा।
03. Candidate Type के Drop Down List पर Click करें व उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
04. जन्मतिथि डालने के लिये कैलेंडर की सहायता से वर्ष, माह एवं दिनांक पर Click करें।
05. आई.टी.आई उत्तीर्ण छात्र अपना NCVT/SCVT प्रमाण-पत्र नम्बर डाले व ट्रेड का चयन करें।
06. अब अपना नाम, पिता व माता का नाम, जेन्डर एवं आधार कार्ड नम्बर डालें (आपकी जानकारी आधार कार्ड की जानकारी से मेल खानी चाहिए) कैटेगिरी में अपनी जाति का चयन करें।
07. कॉन्टेक्ट डिटेल के सेक्शन में अपना पता, मोबाइल नम्बर एवं ई मेल आई.डी. अंकित करें।
08. क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में अपनी उच्चतम योग्यता पर Click करें व प्रमाण पत्र संलग्न करें।
09. टेक्नीकल क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपनी संस्था का नाम, ट्रेड एवं कोर्स प्रारम्भ एवं समाप्ति दिनांक का चयन करें तथा ऐड बटन पर Click करें।
10. प्राथमिकता अनुसार ट्रेड का चयन करें एवं सिलेक्ट फर्स्ट प्रिफरेंस पर Click करें।
11. अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र में दिये गये नम्बर को टाइप करें, डिक्लेरेशन चैक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
12. प्रिव्यू में आपकी जानकारी को चैक करें यदि जानकारी सही है ओके बटन पर क्लिक करें।
13. नई विन्डो में आपके फार्म की सबमिट होने की जानकारी प्राप्त होगी व आपके ई-मेल पर एक्टिवेशन लिंक प्राप्त होगी।
14. अपना ई-मेल एकाउन्ट ओपन करें व डीजीटी से प्राप्त एक्टिवेशन लिंक पर Click करें जिससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट निकालें।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों अनिवार्य होगी:-

• ऑनलाइन प्रक्रिया:-

01. अप्रेंटिस के लिये आवेदन करने के लिये www.apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर Establishment मीनू पर Click करें।
02. Establishment सर्च Option पर Click करें एवं अपनी Choice के अनुसार राज्य व जिले का चयन करें Option पर Click करें जिसमें आपको प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त होगी।
03. प्रतिष्ठान पर Click करके उस प्रतिष्ठान के ट्रेड व सीट की जानकारी प्राप्त होगी।
04. यदि आप प्रतिष्ठान में Apprenticeship के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो Apply Link पर Click करें।
05. खुले हुये पॉपअप पर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि व ई-मेल आई.डी. प्रविष्टि करें एवं कैप्चा ईमेज में दिये गये नम्बर को टाइप करके Apply Button पर Click करें। स्क्रीन पर आपको Applied Successfully का मैसेज प्राप्त होगा।
06. यदि आपकी Application प्रतिष्ठान स्वीकार कर लेता है तो आपके ई-मेल आई.डी. पर एक ऑफर लेटर भेजी जायेगी ऑफर Link पर आप अपना Signature Upload कर ऑफर Accept करें। प्रतिष्ठान द्वारा आपका आवेदन Approve करने पर Contract जनरेट हो जायेगा व आपकी ट्रेनिंग प्रारम्भ हो जायेगी।

• ऑफलाइन प्रक्रिया:-

01. आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा-संधा), रानी अवन्ती बाई सागर जल विधुत गृह बरगीनगर, जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।